# E-Learning

By : Dr. Sushila
Assistant Professor
(Department of Commerce)

## TABLE OF CONTENTS


| Item Number | DESCRIPITION | Page No |
|---|---|---|
| 1 | Introduction of Bailment | 3 |
| 2 | Characteristics of Contract of Bailment | 6 |
| 3 | Kinds of Bailment | 8 |
| 4 | Duties and Responsibilities of Bailor | 10 |
| 5 | Rights of Bailor | 14 |
| 6 | Duties and Responsibilities of Bailee | 20 |
| 7 | Rights of Bailee | 26 |
| 8 | Termination of Bailment | 31 |

# Contracts of Bailment

CLASS – B.COM. II

# Bailment (निक्षेप)

हम हररोज ऐसे अनेक व्यवहार करते और देखते हैं जिनके अन्तर्गत एक व्यक्ति अपनी कोई वस्तु किसी विशेष उद्देश्य के लिये किसी दूसरे व्यक्ति को देता है और उक्त उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वह वस्तु उसे वापस कर दी जाती है, जैसे पढ़ने के लिये पुस्तक देना, सर्विस के लिये स्कूटर देना, सिलने के लिये टेलर को कपड़े देना, ड्राईक्लीन के लिये कपड़े देना आदि। इस प्रकार के व्यवहार को ही 'निक्षेप' (Bailment) कहते हैं। 'निक्षेप' भी एक विशेष प्रकार का अनुबन्ध ही माना जाता है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा 148 से 181 में इसके लिये विशेष नियम दिये गये हैं।

# Meaning and Definition of Bailment

**निक्षेप को अंग्रेजी में 'बेलमेन्ट' (Bailment)** कहते हैं जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के 'बेलर' (Bailor) शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ 'सुपुर्दगी करना' (To Deliver) है। परन्तु वैधानिक भाषा में इसका अर्थ 'एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक किसी वस्तु का हस्तान्तरण करना' (Voluntary change of possession from one person to another) है।

**भारतीय अनुबन्ध अधिनियम की धारा** 148 के अनुसार, "यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबन्ध पर माल सुपुर्द करता है कि उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल वापिस कर दिया जायेगा अथवा उसके आदेशानुसार व्यवस्था (Disposed) कर दी जायेगी, तो ऐसे अनुबन्ध को निक्षेप अनुबन्ध कहेंगे।"

इस प्रकार माल की सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति को 'निक्षेपी' (Bailor) कहते हैं और वह व्यक्ति जिसे ऐसा माल सुपुर्द किया जाता है उसे 'निक्षेपग्रहीता' (Bailee) कहते हैं।

**उदाहरणार्थ**-(i) आशीष अपनी पैन्ट सिलने के लिये 'सिल्को टेलर्स' को कपड़ा देता है, तो आशीष और सिल्को टेलर्स के बीच हुआ अनुबन्ध निक्षेप का अनुबन्ध है जिसमें आशीष निक्षेपी और सिल्को टेलर्स निक्षेपग्रहीता है।

**(ii) सुरेन्द्र** अपनी पुत्री के विवाह में दावत की व्यवस्था हेतु किसी धर्मार्थ संस्था से बर्तन लेता है तो वर्तन लेने का अनुबन्ध निक्षेप का अनुबन्ध है जिसमें उक्त धर्मार्थ संस्था निक्षेपी तथा सुरेन्द्र निक्षेपग्रहीता है।

# Characteristics of Contract of Bailment

**1 दो पक्षकारों का होना (Two Parties)-** अन्य अनुबन्धों की भाँति निक्षेप अनुबन्ध में भी दो पक्षकार होते हैं-एक माल सुपुर्द करने वाला निक्षेपी तथा दूसरा माल को रख लेने वाला व्यक्ति निक्षेपग्रहीता।

**2. माल की सुपुर्दगी (Delivery of Goods)- निक्षेप** के अनुबन्ध में माल की सुपुर्दगी एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अवश्य की जानी चाहिए। माल की सुपुर्दगी से आशय अपनी इच्छा से माल के अधिकार का हस्तान्तरण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को करने से है। साधारणत: माल की सपर्दगी निम्नलिखित तीन प्रकार से की जा सकती है

**(i) वास्तविक सुपुर्दगी (Actual Delivery)-** जब माल वास्तविक रुप से एक व्यक्ति के अधिकार से दसरे व्यक्ति के अधिकार में चला जाये तो उसे वास्तविक सपर्दगी कहते हैं। जैसे 'अ' अपनी मोटरकार 'ब' को मरम्मत करने के लिए देता ह, यह माल की वास्तविक सपर्दगी है।

**(ii) रचनात्मक सुपुर्दगी (Constructive Delivery)-** यदि वस्तु पर पहले से ही किसी व्यक्ति का अधिकार हो और वह उसे निक्षेपग्रहीता के रुप में अपने पास रखना स्वीकार कर ले तो वस्तु का वास्तविक हस्तान्तरण न किए जाने पर भी निक्षेप अनबन्ध के लिए उचित सपर्दगी मानी जाएगी। उदाहरण के लिए राम, मोहन की दुकान से एक 'ऊषा पंखा' खरीदकर इस निर्देश के साथ उसकी दुकान पर ही छोड़ देता है कि पंखा मोहन द्वारा उसके घर पहुंचा दिया जाए। यहाँ पर यद्यपि राम ने मोहन को कोई वास्तविक सपर्दगी नहीं दी फिर भी राम निक्षेपी तथा मोहन निक्षेपग्रहीता माना जायेगा।

**(iii) सांकेतिक सुपुर्दगी (Symbolic Delivery)-** सांकेतिक सुपुर्दगी कोई भी ऐसा कार्य करके दी जा सकती है जिसके द्वारा वस्तु निक्षेपग्रहीता अथवा उसके प्रतिनिधि के अधिकार में आ जाए। भण्डार की कुंजी, जहाजी बिल्टी आदि की सुपुर्दगी सांकेतिक सुपुर्दगी ही है। जैसे रमेश अपने गेहूँ के गोदाम की चाबी जिसमें 200 बोरे गेहँ हैं, सरेश को दे देता है। जिस समय चाबी रमेश द्वारा सुरेश को दी जाती हैं, उसी समय गोदाम सुरेश को सुपुर्द किया समझा जाएगा।

**3. अस्थायी उद्देश्य (Temporary Purpose)-**माल की सुपुर्दगी किसी अस्थायी उद्देश्य के लिए की जाती है। जैसे राम अपनी घड़ी मरम्मत के लिए घड़ी साज को देता है तथा घड़ी साज घड़ी की मरम्मत कर राम को वापस कर देता है यहाँ पर घड़ी मरम्मत के लिए अस्थायी रुप से सुपुर्द की गयी है।

**4. माल के अधिकार का हस्तान्तरण (Transfer of Possession)**-निक्षेप अनुबन्ध के लिए एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को माल के अधिकार का हस्तान्तरण होना आवश्यक है। माल की केवल रखवाली या देखभाल करना माल के हस्तान्तरण के अभाव में निक्षेप नहीं कहा जा सकता जैसे एक नौकर द्वारा अपने मालिक के माल की देखभाल करना।

**5.निदिष्ट वस्तु को वापस पाने का अधिकार (Right of Return of Goods)**-निक्षेप अनुबन्ध में माल की सुपुर्दगी इस शर्त पर की जाती है कि उस उद्देश्य के पूरा हो जाने पर जिसके लिए सुपुर्दगी दी गयी थी वही माल उसके स्वामी को वापस कर दिया जायेगा या उसके आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

**6. माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं (Ownership is not Transferred)** निक्षेप अनुबन्ध में केवल माल के अधिकार का हस्तान्तरण होता है, स्वामित्व का नहीं। वस्तु का स्वामित्व तो हमेशा निक्षेपी के पास ही रहता है और इसी के आधार पर वह अपने माल को पुनः प्राप्त कर सकता है।

**7. चल सम्पत्ति का ही निक्षेप (Bailment of Movable Goods Only)**- निक्षेप केवल चल सम्पत्ति का ही हो सकता है, अचल सम्पत्ति जैसे मकान जमीन आदि के निक्षेप अनुबन्ध नहीं किये जा सकते।

**8. माल की वापसी मूलरुप में होना अनिवार्य नहीं– निक्षेप** किये गये माल के रुप-रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे सुनार द्वारा सोने को आभूषण के रुप में परिवर्तित करके वापस करना।

**9.माल की सपर्दगी स्वयं को न होना (Delivery of Goods not** for Own) निक्षेप अनबन्ध के लिए यह आवश्यक है कि माल की सुपुर्दगी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी जानी चाहिए स्वयं को नहीं।

# Kinds of Bailment

**1 सुरक्षा के लिये निक्षेप (Bailment for Safe Deposit)-** जब निक्षेपी किसी वस्त को निक्षेपग्रहीता को सुरक्षा के उद्देश्य से सुपुर्द करता है तो इसे सुरक्षा के लिये निक्षेप कहते हैं। उदाहरण के लिये बैंक के लॉकर में रखे गये आभूषण या अन्य महत्त्वपूर्ण दस्तावेज, यात्रा पर जाते समय किसी। रश्तेदार या पड़ोसी को सुपुर्द किया गया सामान आदि।

**2. प्रयोग के लिये निक्षेप (Bailment for Use)** जब निक्षेपी किसी वस्तु की सपर्दगी। निक्षेपग्रहीता को इस उद्देश्य से तथा इस शर्त पर करता है कि निर्दिष्ट उद्देश्य अथवा निर्दिष्ट समय समाप्त होने पर वह वस्तु निक्षेपी को वापस कर दी जायेगी तो इसे प्रयोग के लिये निक्षेप कहते हैं। उदाहरणार्थ, रजत अपनी कार एक दिन के लिये दिल्ली जाने हेतु अपने मित्र भरत को देता है तो यह प्रयोग के लिये निक्षेप होगा।

**3. किराये के लिये निक्षेप (Bailment for Hire)** जब निक्षेपी द्वारा निक्षेपग्रहीता को किसी वस्तु की सुपुर्दगी किराया लेने के उद्देश्य से की जाती है तो यह किराये के लिये निक्षेप कहलाता है, जैसे शादी विवाह पर टैन्ट एवं क्रॉकरी का सामान किराये पर देना। ।

# Kinds of Bailment

**4. गिरवी द्वारा निक्षेप (Bailment by Pledge)** जब कोई ऋणी, ऋण की जमानत के उद्देश्य से कोई वस्तु गिरवी के रुप में लेनदार को सौंपता है तो यह गिरवी द्वारा निक्षेप कहलाता है।

**5. मरम्मत के लिये निक्षेप (Bailment for Repairs) यदि** कोई वस्तु दूसरे व्यक्ति को मरम्मत के लिये हस्तान्तरित की जाये तो यह मरम्मत के लिये निक्षेप कहलाता है, जैसे रजत द्वारा अपनी बिजली की प्रेस मिस्त्री को मरम्मत के लिये देना।

**6. परिवहन के लिये निक्षेप (Bailment for** Carriage)-जब कोई वस्तु माल वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये सुपुर्द की जाती है, तो वह परिवहन सम्बन्धी निक्षेप कहलाता है।

**7. निःशुल्क निक्षेप (Gratitious Bailment)**-जब निक्षेप के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता, तो उसे नि:शुल्क निक्षेप कहते हैं, जैसे अमित द्वारा अपनी पुस्तक सुमित को नि:शुल्क पढ़ने के लिये देना निःशुल्क निक्षेप है।

**8. सशुल्क निक्षेप (Non-gratitious Bailment)** यदि निक्षेप के लिये कोई शुल्क लिया अथवा दिया जाता है तो वह सशुल्क निक्षेप कहलाता है। उदाहरण के लिये बैंक, लाकर्स की सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ शुल्क लेता है।

# निक्षेपी के कर्तव्य अथवा उत्तरदायित्व
## (Duties and Responsibilities of Bailor)

1. निक्षेप किए गए माल के दोषों को प्रकट करना (To Disclose Faults in Goods Bailed): धारा 150 के अनुसार, निक्षेपी का कर्तव्य है कि वह निक्षेपगृहीता को निशेष किए माल के उन सब दोषों को प्रकट कर दें, जिनका निक्षेपी को ज्ञान है तथा जिनसे माल के प्रयोग में बाधा पड़ती है, अथवा जो निक्षेपगृहीता को असाधारण संकट में डाल दें। यदि वह ऐसा नहीं करता, तो वह ऐसे दोषों से निक्षेपगृहीता को प्रत्यक्ष रूप से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। यदि माल का निक्षेप किराये पर किया गया है, तो चाहे निक्षेपी को माल के ऐसे दोषों की जानकारी थी अथवा नहीं, वह ऐसी क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। अतः स्पष्ट है कि किराये के निक्षेप में निक्षेपी का उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है।

उदाहरण (1) राम, श्याम को अपना घोड़ा उधार देता है। राम यह जानता है कि घोड़ा दुष्ट (Vicious) है, परंतु वह श्याम को यह बात नहीं बतलाता घोड़ा भाग खड़ा होता है जिससे श्याम घोड़े से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। श्याम को पहुंचने वाली क्षति के लिए राम उत्तरदायी होगा।

(ii) रमेश अपनी गाड़ी किराये पर महेश को देता है। गाड़ी में कुछ दोष है जिनके कारण गाड़ी असुरक्षित है परंतु इन दोषों का ज्ञान रमेश को नहीं है। गाड़ी दुर्घटनापस्त हो जाती है जिससे महेश को चोट लग जाती है। रमेश, महेश को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि उसे गाड़ी के दोषों का ज्ञान नहीं था।

2. आवश्यक व्ययों का भुगतान करना (Torepay the necessary Expenses); धारा 158 के अनुसार जहाँ निक्षेप की शर्तों के अनुसार, निक्षेपगृहीता को निक्षेपी के लिए कोई वस्तु रखनी है, अथवा ले जाती है, या निक्षेपी के लिए उस पर कोई काम करना है और निक्षेपगृहीता को उसका कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो ऐसी दशा में निक्षेपी, निक्षेपगृहीता को ऐसे सभी आवश्यक व्यय चुकाने के लिए बाध्य है जो निक्षेपगृहीता द्वारा निक्षेप के लिए किये गये हो उदाहरण के लिए रवि अपनी गाय मुकेश के पास देखभाल के लिए छोड़ता है तथा इस देखभाल के लिए मुकेश को कुछ भी पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। परंतु गाय को चारा आदि खिलाना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी। ऐसी दशा में रवि, मुकेश को वे सब व्यय चुकाने के लिए बाध्य (उत्तरदायी) है जोकि गाय को चारा देने अथवा देखभाल करने में हुए हैं यद्यपि मुकेश स्वयं कोई पारिश्रमिक नहीं लेता। यह ध्यान रखना चाहिए कि साधारण व्ययों के अतिरिक्त निक्षेपगृहोता यदि कोई असाधारण व्यय (Extra-ordinary Expenses) करता है तो निक्षेपी प्रत्येक दशा में इसके लिए भी उत्तरदायी होगा। उपर्युक्त उदाहरण में यदि गाय बीमार हो जाती है तो दवा व्यादि का व्यय असाधारण व्यय कहलायेगा तथा रवि इस व्यय का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

3. निक्षेपगृहीता की क्षतिपूर्ति करना (To Indemnify the Bailee) यदि निक्षेपी किसी ऐसे माल का निक्षेप करता है जो किसी अन्य व्यक्ति का है अथवा निक्षेपी के स्वामित्व में दोष है तो इस दोष के कारण यदि निक्षेपगृहीता को कोई हानि उठानी पड़ती है तो निक्षेपी ऐसी शानि की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 164 के अनुसार, निक्षेपी निक्षेपगृहीता की ऐसी किसी भी हानि की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है जो निक्षेपगृहीता को इस कारण उठानी पड़े कि निक्षेपी निक्षेप करने अथवा माल को वापस पाने अथवा उसके संबंध में कोई आदेश देने का अधिकारी नहीं था। दूसरे शब्दों में, निक्षेपी ऐसी हानि के लिए उत्तरदायी होगा, जो निक्षेपगृहीता को निक्षेपी के अधिकार की कमी के कारण पहुॅचे उदाहरण के लिए एक ऐसी मोटर किसी नीलामकर्ता स को देता है जिसका वास्तविक स्वामी ब है |और उस मोटर को नीलाम करने का आदेश देता है। स यह जानते हुए कि मोटर का वास्तविक स्वामी ब है उसे तीसरे व्यक्ति के लिए नीलाम कर देता है। ब स पर अनधिकृत विक्रय के लिए वाद प्रस्तुत कर देता है। अ स को उन सब हानियों को पूरा करने के लिए बाध्य है जो स को देनी पड़े।

4. निर्धारित समय से पूर्व निक्षेप समाप्ति पर दायित्व (Laability on breach of bailment before expiry of time fixed): निःशुल्क निक्षेप की दशा में यदि उद्देश्य की समाप्ति से पूर्व या निर्धारित समय से पूर्व ही निक्षेपी वस्तुओं को वापस ले लेता है और यदि इस व्यवहार के कारण निक्षेपगृहीता को निक्षेप से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक उठानी पड़ती है, तो निक्षेपी ऐसी हानि व लाभ के अंतर को चुकाने के लिए बाध्य है। धारा 159 के अनुसार, "यदि कोई वस्तु प्रयोग के लिए निःशुल्क उधार दी गई है तो उधारदाना किसी भी समय उधार दी गई वस्तु की वापसी की माँग कर सकता है चाहे उसे किसी निर्धारित उद्देश्य या समय के लिये ही उधार क्यों न दी गई हो। परंतु यदि इस प्रकार निर्धारित उद्देश्य वा समय के लिए उधार पर विश्वास करके निक्षेपगृहीता इस प्रकार कोई कार्य करता है कि उधार दी गई वस्तु की निर्धारित अवधि से पहले वापसी के कारण उसे ऐसे उधार से होने वाले लाभ की तुलना में अधिक हानि उठानी पड़ती है, तो उघारदाता, उधार लेने वाले व्यक्ति की उस राशि के लिए हानि रक्षा करेगा जो कि प्राप्त लाभ की तुलना में उठाई गई हानि की अधिकता के कारण उसे चुकानी पड़ी है।"

# निक्षेपी के अधिकार
# (Rights of Bailor)

भारतीय अनुबंध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन निक्षेपी को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए है।

1. **निक्षेपगृहीता की असावधानी से हुई हानि की क्षतिपूर्ति (Compensation for losses due to negligence by bailee)** धारा 152 के अनुसार, निक्षेपगृहीता का फर्त्तव्य है कि वह निक्षेप किए गये माल की उचित देखभाल करे। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में यदि निक्षेपगृहीता ने माल की उचित देखभाल नहीं की है जैसी कि एक सामान्य व्यक्ति से उसी प्रकार की वस्तु के संबंध में। समान परिस्थितियों में अपेक्षा की जा सकती है अर्थात् माल की देखभाल में निक्षेपगृहीता ने उपेक्षा की है तो इसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पूर्ति निक्षेपी, निक्षेपगृहीता से प्राप्त करने का अधिकारी है जैसे निक्षेपगृहीता की लापरवाही अथवा उपेक्षा से निक्षेपीत माल की चोरी हो जाना अथवा नष्ट हो जाना आदि।

2. निक्षेपगृहीता द्वारा असंगत कार्य करने पर निक्षेप समाप्त करना (Termination of bailment on inconsistent use by the builee): धारा 153 के अनुसार यदि निक्षेपगृहीता निक्षेप किए गए माल के सबंध में कोई ऐसा कार्य करता है जो निक्षेप की शर्तों के असंगत है, तो निक्षेपी अपनी इच्छा पर अनुबंध समाप्त कर सकता है तथा निक्षेप किया गया माल वापस ले सकता है। उदाहरण सुरेश ने सतीश को एक घोडा उसकी निजी सवारी के लिए किराये पर दे दिया, किन्तु सतीश उसको अपनी घोडा-गाड़ी में जोतता है। ऐसी परिस्थिति में यह अनुबंध सुरेश की इच्छा पर समाप्त किया जा सकता है अर्थात् वह घोड़ा वापस ले सकता है।

3. निक्षेपगृहीता द्वारा अनधिकृत उपयोग करने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करना (Compensation on unauthorised use by the bailee): धारा 154 के अनुसार, यदि निशेषगृहीता निक्षेप किए गए माल का निक्षेप की शर्तों के विपरीत कोई अनधिकृत उपयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप निक्षेपी को कोई हानि उठानी पड़ी है तो निक्षेपी को निक्षेपगृहीता से ऐसी समस्त हानियों को क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार है जोकि ऐसे अनधिकृत उपयोग से या उपयोग के समय माल के संबंध में हुई है।

उदाहरण- सुरेश, सतीश को केवल उसी की सवारी के लिये पोड़ा किराये पर देता है। सतीश रमेश को, जोकि उसके परिवार का एक सदस्य है, घोड़े पर चढ़ने की आज्ञा दे देता है। रमेश घोड़े पर सावधानी से सवार होता है, किन्तु अकस्मात् घोड़ा गिर पड़ता है और घायल हो जाता है। यहाँ सुरेश को सतीश से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा। इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपर्युक्त दोनों धाराएँ (153-154) निक्षेपी के दो विभिन्न उपचारों का वर्णन करती है। यह तथ्य संबंधी प्रश्न है और न्यायालय समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय करेगा कि निक्षेपगृहीता द्वारा किया गया कार्य किस श्रेणी से संबंधित है। यदि कार्य शर्तों के असंगत माना जाता है तो निक्षेपी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है और यदि वह यह कार्य अनधिकृत उपयोग के अंतर्गत आता है तो निक्षेपी को केवल क्षतिपूर्ति का ही अधिकार प्राप्त है, अनुबंध को निरस्त करने का नहीं।

4. निक्षेपगृहीता द्वारा निक्षेपित माल को स्वयं के माल में मिलाने पर क्षतिपूर्ति (Compensation when the bailee. •mixes the goods bailed, with his own goods): धारा 155 के अनुसार, जब निक्षेपगृहीता निक्षेपी की सहमति से उसके द्वारा निक्षेप किए गए माल को अपने माल के साथ मिला देता है तो ऐसी मिलावट में निक्षेपी का अधिकार उसके अंश (भाग) के बराबर होगा। धारा 156 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता निक्षेपी की सहमति के बिना निक्षेप किए गए माल को अपने स्वयं के माल में मिला देता है और माल पृथक-पृथक किया जा सकता है तो दोनों पक्षकार अपने-अपने माल के अधिकारी होंगे परंतु माल के पृथक करने के व्यय अथवा मिलावट के कारण उत्पन्न हानि की पूर्ति कराने का अधिकार निक्षेपी को होगा।

धारा 157 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता निक्षेपी की सहमति के बिना उसका माल अपने माल के साथ मिला लेता है और इस मिलावट में से निक्षेपी का माल अलग नहीं किया जा सकता तो निक्षेपी, निक्षेपगृहीता से संपूर्ण माल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

5. निःशुल्क निक्षेप की स्थिति में किसी भी समय निक्षेपित वस्तु वापस लेने का अधिकार (Right of return of goods at any time in case of gratuitous bailment): धारा 159 के अनुसार, निःशुल्क निक्षेप की दशा में निक्षेपी को किसी भी समय निक्षेपित वस्तु वापस लेने का अधिकार है, भले ही निक्षेप किसी निश्चित अवधि या उद्देश्य के लिए किया गया हो। परंतु यदि निश्चित अवधि से पूर्व या उद्देश्य की पूर्ति से पहले वस्तु वापस ले ली जाती है तथा निक्षेपगृहीता को निक्षेप से प्राप्त लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है तो को निक्षेपगृहीता की इस क्षति की पूर्ति करनी होगी।

6. माल को वापस पाने का अधिकार (Right to get the goods back): धारा 160 के अनुसार निक्षेप की निश्चित अवधि समाप्त होने पर अथवा उद्देश्य पूरा होने पर निक्षेपी, निक्षेप किए गए माल को वापस पाने का अधिकारी है।

7. निक्षेपित माल में वृद्धि या लाभ पाने का अधिकार (Right to increase or profit from goods bailed): धारा 163 के अनुसार, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में यदि निक्षेप किए गए माल में कुछ वृद्धि होती है या उसमें लाभ होता है तो निक्षेपी को इस वृद्धि या लाभ को पाने का अधिकार है। उदाहरणार्थ, रामकिशोर अपनी गाय अपने मित्र राज के यहाँ देखभाल के लिए छोड़ देता है। बाद में गाय एक बछड़े को जन्म देती है। इस दशा में रामकिशोर को गाय के साथ बछड़ा भी प्राप्त करने का अधिकार है।

# निक्षेपगृहीता के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व
## (Duties and Responsibilities of Bailee)

1. निक्षेप किए गए माल की उचित देखभाल करना (To take proper care of the goods bailed): धारा 151 के अनुसार, निक्षेप के सभी अनुबंधों में (चाहे सशुल्क हो अथवा निःशुल्क) निक्षेपगृहीता का यह कर्त्तव्य है कि वह निक्षेप किए गए माल को उतनी सावधानी के साथ देखभाल करे जितनी की साधारण बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों में अपने माल की देखभाल के लिए करता है। धारा 152 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता ने इतनी देखभाल की है तो वह निक्षेप किए गए माल की हानि, विनाश अथवा क्षय (Lass, destruction or deterioration) के लिए दायी न होगा। साधारणतया निक्षेपगृहीता उन हानियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो 1 ऐसे कारणों से हुई है जिनके ऊपर उसका कोई वश नहीं था जैसे आग, आँधी, वर्षा, बिजली गिरना, शत्रु द्वारा आक्रमण आदि से हानि। बुद्धि क्या है, यह प्रत्येक मामले की सभी परिस्थतियों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। यदि एक निक्षेपगृहीता अपने माल को तो ताले में बन्द करके रखता है, परंतु निक्षेपी के उसी प्रकार के माल को ऐसे ही पड़े रहने देता है तो निक्षेपगृहीता उचित देखभाल न करने के लिए दोषी है

उदाहरणा- रमेश, दिनेश के गोदाम में अपना कुछ माल सुरक्षित रखने के लिए उसको निक्षेप करता है। दिनेश गोदाम में उस माल को रख देता है। गोदाम की छत कुछ टूटी होने के कारण वर्षा का पानी गोदाम में आ जाता है और रमेश का माल नष्ट हो जाता है। यदि दिनेश ने यथोचित बुद्धि का प्रयोग किया होता तो वह गोदाम की छत ठीक करा कर इस नुकसान को बचा सकता था अतः दिनेश के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में Boseck & Co. Vs. Mandleistan का मामला महत्त्वपूर्ण है। इस मामले में लाहौर का एक आभूषण विक्रेता बिना बीमा कराये ही डाक द्वारा कलकत्ता एक व्यक्ति के पास आभूषण मरम्मत के लिए भेजा करता था। अनेक अवसरों पर ऐसा होता रहा। एक बार मरम्मत करने वाले ने भी आभूषण मरम्मत करने के पश्चात् कलकता से लाहौर वापस भेजे और उसने वही रीति प्रयोग में लाई जो विक्रेता द्वारा आभूषण सामान्यतः उसके पास मरम्मत के लिए भेजने में प्रयोग की जात थी। परंतु पार्सल लाहौर नहीं पहुंचा और रास्ते में ही कहीं खो गया। यह माना गया कि सब परिस्थितियों तथा रीति को देखते हुए जो कि पक्षकारों के बीच प्रयोग में लाई जा रही थी. उचित सावधानी का प्रयोग किया गया था।

यहाँ यह कहना अनावश्यक न होगा कि किसी अनुबंध द्वारा भी निक्षेपगृहीता अपने उत्तरदायित्व को कम नहीं कर सकता। हाँ, कहे किसी विशेष अनुबंध द्वारा अपने इस उत्तरदायित्व में वृद्धि कर सकता है, जैसे माल की चोरी या किसी घटना से सुरक्षित रखने का पूरा उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर ले सकता है

2. निक्षेप की शर्तों के असंगत कोई कार्य न करना (Not to do any act inconsistent with the terms of Bailment): धारा 153 के अनुसार, निक्षेपगृहीता निक्षेप किये गये माल के संबंध में कोई ऐसा कार्य करता है जो निक्षेप की शर्तों के असंगत है, तो निक्षेपी अपनी इच्छा पर अनुबंध समाप्त कर सकता है तथा निक्षेप किया गया माल वापस ले सकता है। उदाहरण के लिए 'अ', 'ब' को उसकी निजी सवारी के लिए एक घोड़ा किराये पर देता है। "ब घोड़े को अपनी गाड़ी में चलाता है 'अ' की इच्छा पर वह निक्षेप समाप्त किया जा सकता है।

3. अनधिकृत उपयोग न करना (Not to make an unauthorised use): धारा 154 के अनुसार यदि निक्षेपगृहोता निक्षेप किए गए माल का कोई ऐसा उपयोग करता है जोकि निक्षेप की शर्तों के अनुसार नहीं है, तो वह ऐसे उपयोग से अथवा ऐसे उपयोग के समय में माल की होने वाली हानि के लिए निक्षेपी के प्रति क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है। उदाहरण के लिए 'अ' 'ब' को केवल उसकी निजी सवारी के लिए एक घोड़ा देता है। ब अपने कुटुम्ब के एक सदस्य "स" को घोड़े की सवारी करने की अनुमति दे देता है। 'स' घोड़े पर सावधानी से सवारी करता है, किन्तु अकस्मात् पोड़ा गिर जाता है और घायल हो जाता है घोड़े की चोट के लिए 'अ' के प्रति क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उपर्युक्त दो धाराएँ निक्षेपी के दो उपचारों का अलग-अलग वर्णन करती है। यदि कार्य शर्तों के असंगत माना जाता है तो निक्षेपी को निक्षेप अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परंतु यदि वह केवल अनधिकृत उपयोग की श्रेणी के अंतर्गत आता है तो निक्षेपी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार न होगा, केवल क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा।

4. निक्षेपी के माल को अपने निजी माल के साथ न मिलाना (Not to max Bailor's Goods with his own Goadre निक्षेपीता का यह कर्तव्य है कि वह निक्षेपी के माल को अपने माल से अलग रखे। जब निक्षेपी के माल को वह अपने माल में मिला देता है तो धाराएं 155 से 157 उसके उत्तरदायित्व को निर्धारित करेगी।
   - (A) धारा 155 के अनुसार यदि निक्षेपगृहीता निक्षेपी को सहमति से उसके माल के साथ मिला देता है तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाली मिलावट में निक्षेपी और निगृहीता का हित क्रमशः अपने अपने अशों के अनुसार होगा।
   - (B) धारा 156 के अनुसार, यदि निक्षेपी की सहमति के बिना निक्षेपगृहीता अपने माल को निक्षेपी के माल के साथ मिला देता है तथा माल इस प्रकार का है कि उसे पृथक किया जा सकता है तो दोनों पक्ष अपने अपने माल के अधिकारी होंगे परंतु ऐसी दशा में माल को पृथक करने का व्यय निक्षेपगृहीता को सहन करना होगा. यदि माल पृथक्क करने में कोई हाने होती है तो उसके लिए निक्षेपगृहोता उत्तरदायी होगा
   - (C) धारा 157 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता, निक्षेपी की सहमति के बिना उसके माल को अपने निजी माल के साथ इस प्रकार मिला देता है कि निक्षेप किये गये माल को दूसरे माल से अलग करना और उसे वापस करना असम्भव है तो निक्षेपी वस्तु को हानि के लिए निक्षेपगृहोता से क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है।

5. निक्षेप किये माल को वापस करना (To return the goods hailed): धारा 160 व 161 के अनुसार निश्चित समय बीत जाने पर या उद्देश्य पूरा होने पर निक्षेपगृहीता को चाहिए कि वह बिना मांगे माल को निक्षेपी को वापस कर दे, यदि निश्चित समय बीतने पर या उद्देश्य पूरा हो जाने पर माल वापस नहीं करता तो वह उस समय के पश्चात् होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा। यदि किसी निक्षेप में कई सह-स्वामी होते है तो कोई विपरीत अनुबंध न होने पर निक्षेपगृहीता किसी भी एक सह-स्वामी को बिना अन्य स्वामियों को सूचना दिये माल लोटा सकता है।

6. वृद्धि अथवा लाभ को वापस करना (To return any accretion or profit): धारा 163 के अनुसार, किसी विपरीत के अभाव में निक्षेप किये गये माल से होने वाला लाभ अथवा वृद्धि को भी निक्षेपगृहीता निक्षेपी को अथवा निक्षेपी के निर्देशानुसार सुपुर्द करने को बाध्य है। उदाहरण के लिए, 'अ', 'ब' के पास देखभाल करने के लिए एक गाय निक्षेप करता है। बाद में गाय का बछड़ा पैदा होता है। अ, ब को गाय तथा बछड़ा वापस करने के लिए बाध्य है।

7. विरोधी स्वत्वाधिकार प्रस्तुत न करना (Not to set up an adverse title): भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Fridence Act) की धारा 147 के अनुसार निक्षेपगृहीता का यह कर्त्तव्य है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे निक्षेपों के अधिकार में उपस्थित हो। वह निक्षेप किये गये माल को न तो बेच सकता है और न ही उसे गिरवी रख सकता है।

# निक्षेपगृहीता के अधिकार
# (Rights of Bailee)

वास्तव में निक्षेपों के कर्तव्य ही निक्षेपगृहीता के अधिकार है। अतः निक्षेपी द्वारा जिन कर्त्तव्यों का पालन करने में त्रुटि की जाती हैं उसी के विरुद्ध निक्षेपगृहीता को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन पगृहीता को अधिकार प्रदान किये गये हैं

(1) निक्षेपित माल के दोषों के कारण क्षतिपूर्ति का अधिकार (Right of compensation for loss on account of fults in goods bailed); धारा 150 के अनुसार, निक्षेपगृहीता निक्षेपी से ऐसी हानि को प्राप्त करने का अधिकार रखता है जो निगृहीता को निक्षेपी द्वारा निक्षेप किये गये माल के दोषों को प्रकट न करने के कारण हुई है।

(2) आवश्यक व्यय प्राप्त करने का अधिकार (Right to receive Necessary Expenses); धारा 158 के अनुसार, जब के निशे की शर्तों के अधीन, निक्षेपगृहीता को निक्षेपी के लिए कोई वस्तु रखनी है अथवा ले जानी है अथवा उस पर कोई काम करना है, और निक्षेपगृहीता को इन कामों के लिए यदि कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो निक्षेपगृहीता निक्षेपी से ऐसे आवश्यक व्यय पाने का अधिकारी है जो उसके द्वारा निक्षेप के आशय के लिए किए गए हों जैसे अ द्वारा निक्षेप किए घोड़े को निक्षेपगृहीता ब द्वारा खिलाने पिलाने का व्यय इसके अतिरिक्त निक्षेपगृहीता निक्षेपी से निक्षेपित माल अथवा वस्तु के संबंध में किए गए समस्त असाधारण व्यय (Extra-ordinary (Expenses जैसे निक्षेप किए घोड़े की बीमारी आदि पर किये गए व्यय पाने का भी अधिकारी है।

( 3 ) समय से पूर्व निक्षेप अनुबंध के खंडन की दशा में अधिकार (Right in case of Pre mature termination of धारा 159 के अनुसार, निःशुल्क निक्षेप की स्थिति में यदि निक्षेपी नियत अवधि की समाप्ति से पूर्व अथवा निर्दिष्ट उद्देश्य की समाप्ति से पहले ही निक्षेपित वस्तु निक्षेपगृहीता से वापस ले ले तथा इसके परिणामस्वरूप निक्षेपगृहीता को लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़े तो वह लाभ-हानि के अंतर को, यदि कोई हो, निक्षेपी से प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी हानि की पूर्ति तभी की जाएगी निक्षेपगृहीता ने निक्षेप के निर्दिष्ट समय अथवा उद्देश्य के आधार पर इस प्रकार कार्य किया है कि निर्दिष्ट समय से पूर्व निक्षेपित वापिस करने से उसे प्राप्त लाभ से अधिक हानि उठानी पड़ती है।

(4) दूषित स्वत्व की दशा में क्षतिपूर्ति (Compensation in case उनके संबंध में किसी प्रकार का आदेश देने का अधिकार नहीं था और निक्षेपगृहीता को इस दूषित स्वत्वधिकार (Title) के कारण कोई निक्षेपित (defective Title) धारा 164 के अनुसार, यदि निक्षेपित वस्तु के संबंध में निक्षेपी के स्वामित्व अधिकार में दोष है अर्थात् उसे निक्षेपित वस्तु को निक्षेप करने अथवा वापस पाने अथवा उसके सम्बन्ध मे किसी प्रकार का आदेश देने का अधिकार नहीं था और निक्षेपगृहीता को इस टाइटल के कारन कोई हानि उठानी पड़ी है तो वह निक्षेपी से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

(5) सह-स्वामियों में से किसी एक को माल सुपूर्द करना (Delivery of goods to one of joint.owner) धारा 165 के किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, यदि अनेक सह-स्वामियों द्वारा किसी वस्तु का निक्षेप किया गया है तो ऐसी दशा में निक्षेपगृहीता किसी भी एक सहस्वामी को बिना अन्य सह-स्वामियों की सहमति लिए वस्तु लौटा सकता है। किसी भी एक निक्षेपी को सुपुर्दगी वैध तथा सभी को सुपुर्दगी मानी जाएगी।

(6) वाद चलाने का अधिकार (Right to interplead): धारा 166 एवं 167 के अनुसार, यदि निक्षेप किए गए माल के में निक्षेपी को अच्छा अधिकार नहीं है, तथा निक्षेपगृहीता निक्षेपी के आदेशानुसार माल को सद्भावना से लौटा देता है, तो ऐसी सुपुर्दगी के लिए माल के स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यदि निक्षेपी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति निक्षेप किये हुए माल पर दावा रखता है, तो वह न्यायालय में प्रार्थना कर सकता है कि निक्षेपी को माल की सुपुर्दगी रोक दी जाए और माल के संबंध में वास्तविक सवतव का निर्णय कर दिया जाये।

(7) विशिष्ट पूर्वाधिकार (Right of Particular Lien): अनुबंध अधिनियम की धारा 170 के अनुसार, यदि निक्षेपगृहीता ने निक्षेपित वस्तु के संबंध में अनुबंध के अंतर्गत कोई ऐसी सेवा की है जिसमें व्यक्तिगत श्रम व कौशल का प्रयोग किया गया हो विपरीत अनुबंध के अभाव में उस वस्तु को तब तक अपने पास रखने का अधिकार है जब तक कि उसे उसके संबंध में की गई सेवा का यथोचित पारिश्रमिक नहीं मिल जाता। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वह उस माल को केवल रोक ही सकता है, बेच नहीं सकता। उदाहरण के लिए, अ ब को एक हीरा तराशने के लिए देता है। व आदेशानुसार हीरा तराशता है। वह हीरे को उस समय तक अपने पास रोके रख सकत है जब तक कि अ तराशने का पारिश्रमिक नहीं चुका देता

(8) सामान्य पूर्वाधिकार (Right of General Lien): धारा 171 के अनुसार, कुछ विशेष प्रकार के निक्षेपगृहीताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी प्राप्त राशि या व्ययों के न चुकाये जाने पर निक्षेपित किसी भी संपत्ति को रोक सकते हैं, चाहे वह रोकी गई संपत्ति के लिए हों अथवा अन्य किसी संपत्ति के लिए। यह अधिकार केवल बैंक, फैक्टर, घटवालिए, उच्च न्यायालय के अटॉर्नी जनरल तथा बीमा पालिसी के दलालों को ही प्राप्त है।

(9) अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिकार (Right against third parties) जब किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा निक्षेपगृहीता को निक्षेपित वस्तु के प्रयोग या कब्जे से वंचित करने के लिए कोई अनुचित प्रयत्न किया जाता है तो निक्षेपगृहीता को उस तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध सभी उचित कार्यवाही करने यहाँ तक कि मुकद्दमा चलाने का भी अधिकार होगा। ऐसे बाद में क्षतिपूर्ति के रूप में जो भी मिलेगा वह निक्षेपी तथा निक्षेपगृहीता के मध्य उनके हितों के अनुसार बाँटा जायेगा।

# निक्षेप की समाप्ति
**(Termination of Bailment)**

निक्षेप की समाप्ति निम्नलिखित दशाओं में हो सकती है.

1. निक्षेप की शर्तों के असंगत कार्य करने पर (Doing any act inconsistent with terms of bailment): धारा 153 के अनुसार यदि निक्षेपगृहीता निक्षेप की शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा ऐसा कोई कार्य करता है जो निक्षेप की शर्तों के असंगत है तो निक्षेपी इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। उदाहरणार्थ, मृदुल अपना घोड़ा मधुर को सवारी के लिए उधार देता है मधुर उस घोड़े को तांगे में जोतता है। मृदुल इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

2. निःशुल्क निक्षेप की दशा में निक्षेपी की इच्छा पर (At the desire of the bailor in Case of Gratuitous Bailment): धारा 159 के अनुसार, निःशुल्क निक्षेप की दशा में निक्षेपी किसी भी समय माल वापस लेकर निक्षेप समाप्त कर सकता है। परंतु समय अथवा उद्देश्य पूरा होने से पहले माल वापस लेने पर यदि निक्षेपगृहीता को लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है तो निक्षेपी इस हानि को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. अवधि व्यतीत होने पर (On expiry of Period): धारा 160 के अनुसार, यदि निक्षेप किसी निर्धारित अवधि के लिए किया गया है तो निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अनुबंध समाप्त हो जाता है। ऐसी दशा में निक्षेपगृहीता को बिना माँगे ही निक्षेपी को निक्षेपित वस्तु वापस कर देनी चाहिए।

4. उद्देश्य पूर्ण होने पर (On accomplishment of the Object): धारा 160 के अनुसार ही जिस उद्देश्य के लिए माल निक्षेप किया गया है. जब वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो निक्षेप अनुबंध समाप्त हो जाता है।

5. निःशुल्क निक्षेप की दशा में निक्षेपी अथवा निक्षेपगृहीता की मृत्यु होने पर (Death of the bailor or bailee incase of iratuitous bailment): नि: शुल्क निक्षेप की दशा में धारा 162 के अनुसार, निक्षेपी अथवा निक्षेपगृहोता की मृत्यु की दशा में निक्षेप अनुबंध समाप्त हो जाता है।

# Thank You